



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/35/2021-352

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 26/04/2022

विषय- श्री रविन्द्र कुमार शर्मा द्वारा सीवान जिलान्तर्गत करोम मौजा के खाता संख्या-71, 736, खेसरा संख्या-2201, 2202, अंचल-दरौली में मैरवों-दरौली पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/124649/2021/198, दिनांक 29.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 05.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 29.03.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,71,390.00 (रु० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 15062199124649048, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 04.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR52022040411 60945 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01425 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01425 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 13,648/- (तेरह हजार छः सौ अड़तालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 15062199124649048, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 04.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR5202204041160945 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 04.04.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the	जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यो को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake approprivate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01425 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

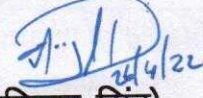
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/35/2021- 352

दिनांक— 26/04/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान /वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
वन प्रमंडल, गोपालगंज एवं श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, पिता—स्व. नथुनी शर्मा,
ग्राम+पोस्ट—करोम, थाना—दरौली, जिला—सीवान, पिन—841239 को सूचना हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Siwan/ Gopalganj Forest Division, Gopalganj.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Ravindra Kumar Sharma /BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01425 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	29.03.2022				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	7,71,390.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	13,648.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	PUNBR5202204041160945	13,648/-	NPV
		2	challan	dt. 04.04.2022	7,71,390/-	CA
		Total-			7,85,038/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 04.04.2022				
12	Any other remarks					



(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 5-4-22



विषय— श्री रविन्द्र कुमार शर्मा द्वारा सीवान जिलान्तर्गत करोम मौजा के खाता संख्या-71, 736, खेसरा संख्या-2201, 2202, अंचल-दरौली में मैरवों-दरौली पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 277, दिनांक 01.04.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/124649/2021198, दिनांक 29.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199124649048, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 04.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR5202204041160945 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01425 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 13,648/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199124649048, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 04.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR5202204041160945 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 04.04.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

रविन्द्र कुमार शर्मा

रविन्द्र कुमार शर्मा,
पिता-स्व. नथुनी शर्मा,
ग्राम+पोस्ट-करोम, थाना-दरौली,
जिला-सीवान, पिन-841239

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-04-2022

Agency Name.	RAVINDRA KUMAR SHARMA
Application No.	199124649048
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/124649/2021
Location.	BIHAR
Address:	S/o-Late Nathuni Sharma, Village-Karom, PS-Darauli Siwan
Amount(in Rs)	785038/-

Amount in Words : Seven Lakh Eighty-Five Thousand and Thirty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	15062199124649048 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

may send a line of confirmation through

challan, if the payment status has not been updated
of your challan with transaction date to

PVHBR5202204041160945



RS1318482021948

FORM-1

(For Linear projects)

Government Of Bihar

Office of the District Collector Siwan

No. 125...

Date 14.3.2022

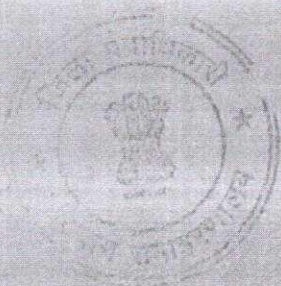
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.01425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Ravindra kumar Sharma (name of user agency) for BPCL Retail outlet At (purpose for diversion of forest land) in Siwan district falls within jurisdiction of Karom village(s) in Darauli tehsils.

It is further certified that.

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.01425 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level committee are enclosed as annexure CO, Darauli to SDO, Siwan Report annexure A & B
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pri-agricultural communities.

Encl, As above.



Signature अधिकारी

(Full name and official of the District Collector)

Annexure-"B" 33

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :- 06154 242982

(आवासीय) :- 06154 242621

अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर, मो० न० - 9473191275

ई-मेल :- sdosiwansadar@gmail.com

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 304 / सी०

प्रेमक,

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सीवान सदर।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा, सीवान।

सीवान, दिनांक 27 फरवरी, 2022 ई०

विषय :- वनाधिकार अधिनियम-2006 (FRA 2006) के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार शर्मा द्वारा सीवान जिलान्तर्गत ग्राम-करोम में मैरवा-दरौली पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01425 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- अंचल अधिकारी, दरौली के पत्रांक 72, दिनांक 22.07.2021।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वनाधिकार अधिनियम-2006 (FRA 2006) के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार शर्मा द्वारा सीवान जिलान्तर्गत ग्राम-करोम में मैरवा-दरौली पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01425 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग के लिए विहित प्रपत्र-1 में प्रमाण-पत्र प्राप्त है।

अतः ग्राम-करोम(दरौली) के मैरवा-दरौली पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01425 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग के लिए अंचलाधिकारी, दरौली द्वारा निर्गत प्रपत्र-1 में प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरीत कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सीवान सदर।

अंचल कार्यालय, दरोली

Annexure - 'A'

32

पत्रांक 72

दिनांक 22.07.22

प्रेषक - अंचल अधिकारी
दरोली

प्राप्त है, पुनारी वसतिगारी / अनुसूचित वसतिगारी
जिला प्रशासन आवास विभाग सदर
दिवान

विषय - वसतिगार अधिनियम 2006 (FRA) के अन्तर्गत में
स्वीनू कुमार वर्मा द्वारा जिला अन्तर्गत
आर - कयेर में भूखे - दरोली पंच में BPCL
सिस्टम आउटलेट स्थापित करने हेतु वर संचयन
आलिनिशम 1980 के तहत 0.01425 हे० वर भूमि
अपभोजन के लिए विहित उपर के प्रतिवेदन
भेजने के संबंध में।

संदर्भ - आपका पत्रांक 1144 / स० आ० दिनांक 13.07.2021

अलाभय

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी पर के आलेख के अंतर्गत
के गौजा - कयेर भागा 70-192, खाना-71, 736 सर्वेच कं.
2201, 2202 जिला विमान पर BPCL आउटलेट स्थापित हेतु
भी स्वीनू कुमार वर्मा के आवेदन पर के आलेख के वर संचयन
आलिनिशम 1980 के तहत 0.01425 हे० वर भूमि अपभोजन के
लिए विहित उपर के प्रतिवेदन तैयार है। जिला पर
भू-साम संलग्न का विवेक कार्यालय हेतु भेजा जा
रहा है।

हृदय शांति स्वीकार किया जाय।

अनुसूचित - भव्योत्त।

विश्वनाथ

22/7/2022
अंचल अधिकारी
दरोली
24/7/22

FORM-I

(For linear projects)

Government Of

BEHAR

Office of the District Collector

CIRCLE OFFICE DAURAZI

Date

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that D-01425..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of RAVENDRA KUMAR SHARMA..... (name of user agency) for BPCL RETAIL OUTLET (purpose for diversion of forest land) in SIWAN..... district falls within jurisdiction of KAROM..... village(s) in DAURAZI..... tehsils.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire D-01425..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure..... to..... 01..... annexure ANNEXED HEREWITH.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Primitive agricultural communities.

Encl. As above.

अंचल अधिकारी

(Full name and official designation) (Collector)

22/8/22

प्रतिहर लुभरित

अनुपम प्रदायिका

विमान सदन

सिद्धि लक्ष्मी
सर्वदा सुखदा देवि

[Faint handwritten text]

Figure 2. (continued)

(100 000 000,00)

2000 प्रमाण मुद्रा. डॉ. रमेश (होम)

—समूह-नौकल पद विद्यार्थी (वन संरक्षण).

पिहार, पटनारा

34
35

आज दिनांक 7-1-2022 को आम प्रचार
कार्य के प्रचार मंच पर आम समा का आयोजन
विभागाधीन ग्राम GPDP के कार्यों के समीक्षा
आयोजन किया गया। सर्व सम्मति
से प्रचार पाठ को हटा दिया गया और
आयोजन में डेवेंडर कुमारी सिंह को डी।ए.
विभागाधीन।

डेवेंडर कुमारी सिंह

आयोजन

आ. व. कोष

1. प्रचार मंच -

मो. 7/1/22

मो. 7/1/22
लक्ष्मीपाल
सिंह

2. संप्रदाय -

संजय कुमार सिंह

3. शिक्षा कक्षा अध्यक्ष -

4. विकास मंत्री -

5. कार्यक्रम अध्यक्ष -

6. चयन समिति अध्यक्ष -

मो. 7/1/22

7. वरिष्ठ शिक्षक -

रि. की देवी

8. स. 3

21 21 69

9. Shashi Kumar Singh

मो. 7/1/22

10		पुष्पक	36
11		माना देवी	31
12	वाड नं 01	कुडु देवी	35
		राज लक्ष्मी शरणाम्	3
13	वाड नं 3	मुक्ता शालग्र	5
14	हलिमा पुष्पादेव	मनोक वर्तनी	5
15	कुम्हार पाला		5
16	मीरु कुमाद सिंह	पगल	5
17	विश्वनाथ ताला	भूमि	5
18	Badshah Anwar	तरीपन	5
19	पंचमन चैदी	समिपन	5
20	मेव न सिंह	वाड 1	5
21	मेगड सोधन	वाड 4	5
22	विश्वनाथ तिवरी	वाड 4	5
23	उमेश सिंह	वाड 4	5
24	अवधूत पुसाद	वाड 2 पंच	5
25	मुसद काली		5
26	रामकिशुन राम		5
27	सुमन लुमादेव		5
28	रविशंकर तिवारी	वाड 10 तरीपनी	5
29	निराल शर्मा		5
30	पुनमन बाकल		5
31			5
32	विरवहा डुरठाडुर	पचईत समीपी	5
33	उमेश पुसाद	(नाराय सिंह) उरोह	5
34	हलिमा नोहा	मायलपिव कारीक	6

36 रमेश तिवारी

36 अनुप कुमार शर्मा

37 पद्माकि शर्मा

38 गीतानी शर्मा

39 सुशेखर सिंह

40

41 पवन भागत

42 हविव अंरारी

43 Ram Sanku Bhaskar

44 प्रकाश श्रीवास्तव

45 हादर मजोर

46 अश्विन्द बैरा

47 देवेंद्र सिंह

48 Dinesh Kumar

49 प्रमोद कुमार

50 विनय प्रताप सिंह

51 हीनदयानंद शर्मा

52 विद्यासागर झा

53 शमन/चकुली

54 सुधीर केशव शर्मा

55 जीतराम मजोर

56 अशोक उदय/कुमार

57 दोर लाल मजोर

58 श्रीपति मजोर

59 नरसिंह/मजोर

60 रामजन्म मजोर

61 इंदुरीय गोविंदा

62 भूतना जी 12

63 रामचंद्र गंगु

64 प्रभुनाथ साह

65 मनोज कुमार

66 गुणदेव राम

67 सूर्यदेव साह

68 जयदेव गंगु राय

69 रामजीव राम

70 कमल सिंह

71 रामचंद्र साह

72 जलम साह

73 प्रदीप साह

74 सूर्यदेव साह

75 गोपाल साह

76 सुंदर साह

77 राम साह

78 इंदुदेव साह

79 काली साह

80 प्रदीप कुमार साह

81 सूर्यदेव कुमार साह

82 मनम कुमार साह

83 त्रिलोक साह

84 हरिदेव साह

85 राम साह

86 राम साह

87 दयाशंकर यादव

88 डोगरी कुमार यादव

89 वाहिन कुमार यादव

90 धनजय कुमार यादव

91 आ. म. लाल शर्मा

92 सेक्टर

93 लालबहादुर शास्त्री

94 गीता चौधरी

95 आ. से. कुशवाहा उमा प्रो. लीमि

96 सहाय यादव

97 विपिन सिंह

98 विवेक कुमार चौधरी 8994932436

100 रविंद्र राय 9065804830

101 धनजय दुबे 9801768622

102 रामाबाई शर्मा

103 रामा जी शर्मा - 7250502261

104 रामाबाई शर्मा

105 काना पाठाकर

106 PAN card 7061967772

107 रा. जेश शर्मा मरीवनी

108 गीता चौधरी 9523942714

109 कपिल देव गुप्ता मरीवनी 7099717201

110 पुनम 61002-आदिनी - 8292667825

111 बाबादेव यादव

112 अशोक मरीवनी

- 113 खरोज भगत
114 प्रमोद सिंह
115 हार्दिक सिंह
116 विभव सिंह - HKR (Rm) 900610514
117 जयवीर ठीर - 7070545199
118 मोहन मुरलधर 9683516023
119 रामानंद राय - 7781969980
120 सुरेश ठाकुर
121
122 राम अमरधर 05798539911
123 हरेश्वर सिंह 9603586053
124 राम प्रेम शर्मा 8002718329-
125 जगदीश शर्मा
126 जगदीश शर्मा
127 रवी चंद्र शर्मा 7654258597
128 रामदीन शर्मा 9531106669
129 मोहन शर्मा
130 रमेश शर्मा 8174321244
131 जगदीश शर्मा 7463949349
132 दुर्गावती देवी 827145062
133 मुकेश साह 827145062
134 अमल साह 7033032898
135 सुगन्ती देवी 7033032898
136 सीमा शर्मा 6201890686
137 हार्दिक शर्मा 9801430233
138 रमावती देवी
139 राम बाबु साह 7091278834 लखनौ

Date
Page 9

140 समिता देवी - 7367929592 (तरीक)
 141 धनु साह 7004097218
 142 शिवकुमारी देवी - 9608380437
 143 मंसा खाह - 7488225833
 तरीकना
 0066907683
 1754300593

144 हरे लाल शर्मा तरीकन 9801436232

प्र. नं. 1 पूर्व के कार्यों का व्यवस्थित किया गया एवं सर्व सम्पत्ति के पास किया गया।

प्र. नं. 2 सर्व सम्पत्ति के विवरण लिखा गया कि शनिद्वारा हुआ शान्त
 इ. स. 1997 की शान्त शान्त के कारण न मिल सका।
 नीचे कोड 341235 के नाम से अग्र पट्टे कि
 कपड़े के लाल के साथ हुआ। किन्तु
 पट्टे के परम को न-क 18.0 किमी. दिया। शान्त
 पेसावर को परम के कोड कोड लिखा।
 शान्त की शान्त पेसावर को न-क 18.0 किमी.
 को 34 परम के नाम दिया।

हस्ताक्षर
 कोड
 गांधी